

प्रेषक,

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार।

विषय :- स्लीपर बस से संबंधित अधिसूचना के क्रियान्वयन के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-GSR-905(E), दिनांक-23.09.2016 के द्वारा नियम-125C के उपधारा (4) को अन्तःस्थापित किया गया है, जिसके अनुसार स्लीपर वाहन के बॉडी बिल्डिंग के लिए AIS-119 (रेव-1):2016 के द्वारा मानक तय किये गये हैं। उपर्युक्त मानक के अनुसार स्लीपर बसों का विनिर्माण, अनुरक्षण एवं संचालन किया जा सकता है।


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फैब्रिकेटर के संबंध में निर्गत अधिसूचना संख्या-GSR-368 (E), दिनांक-13.04.2018 सह पठित स्पष्टीकरण पत्रांक-RT-11036/02/2013-MVL, दिनांक-08.11.2018 द्वारा विहित प्रपत्र में स्वप्रमाण-पत्र दिया जाना है।

केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-126 के तहत भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत जाँच एजेन्सी द्वारा स्लीपर बस का प्रोटोटाईप स्वीकृत एवं प्रमाणित होने पर निबंधन योग्य होंगे।

अतः विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत भारत सरकार से निर्गत उपर्युक्त नियम/ अधिसूचनाओं की विशिष्टियों के आलोक में एवं AIS-052/AIS-119 द्वारा जारी मानकों/मापदण्डों के अनुरूप एवं इसमें समय-समय पर किये गये संशोधन के आलोक में बिहार राज्य में भी स्लीपर बसों का परिचालन किये जाने की अनुमति दी जाती है, जिसका निबंधन सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जायेगा एवं बिहार वित्त अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 15, 2014) के नियम-5(1) द्वारा निर्धारित कर देय होगा।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,



राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-02 / CMT-03 / 2011

पटना, दिनांक.....

प्रेषक,

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार।

विषय :- स्लीपर बस से संबंधित अधिसूचना के क्रियान्वयन के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-GSR-905(E), दिनांक-23.09.2016 के द्वारा नियम-125C के उपधारा (4) को अन्तःस्थापित किया गया है, जिसके अनुसार स्लीपर वाहन के बॉडी बिल्डिंग के लिए AIS-119 (रेव-1):2016 के द्वारा मानक तय किये गये हैं। उपर्युक्त मानक के अनुसार स्लीपर बसों का विनिर्माण, अनुरक्षण एवं संचालन किया जा सकता है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फ़ैब्रिकेटर के संबंध में निर्गत अधिसूचना संख्या-GSR-368 (E), दिनांक-13.04.2018 सह पठित स्पष्टीकरण पत्रांक-RT-11036/02/2013-MVL, दिनांक-08.11.2018 द्वारा विहित प्रपत्र में स्वप्रमाण-पत्र दिया जाना है।

केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-126 के तहत भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत जाँच एजेन्सी द्वारा स्लीपर बस का प्रोटोटाईप स्वीकृत एवं प्रमाणित होने पर निबंधन योग्य होंगे।

अतः विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत भारत सरकार से निर्गत उपर्युक्त नियम/ अधिसूचनाओं की विशिष्टियों के आलोक में एवं AIS-052/AIS-119 द्वारा जारी मानकों/मापदण्डों के अनुरूप एवं इसमें समय-समय पर किये गये संशोधन के आलोक में बिहार राज्य में भी स्लीपर बसों का परिचालन किये जाने की अनुमति दी जाती है, जिसका निबंधन सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जायेगा एवं बिहार वित्त अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 15, 2014) के नियम-5(1) द्वारा निर्धारित कर देय होगा।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 23/11/19

ज्ञापांक :-02 / CMT-03 / 2011, परि0

प्रतिलिपि :- राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी. बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 667]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2016/आश्विन 1, 1938

No. 667]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2016/ASVINA 1, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 905(अ).—केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन तथा अपेक्षित केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 620 (अ), तारीख 23 जून, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में उनसे द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से जब प्रारूप नियमों से अंतर्विष्ट उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 23 जून, 2016 को उपलब्ध करवाई गई थीं ;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटरयान (14वां संशोधन) नियम 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(2) केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 में, नियम 125 ग में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4) केंद्रीय मोटर यान (14वां संशोधन)नियम, 2016 के प्रारंभ होने की तारीख से छह मास को और छह मास की समाप्ति पर और उसके पश्चात् स्लीपर कोचों की बाडी बिल्डिंग के लिए, उनमें वर्णित यानों के लिए परीक्षण और अनुमोदन जब तक तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित नहीं किए जाते हैं, तब तक समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस - 119 (रेव - 1):2016 के अनुसार होगा।"

[सं. आरटी- 11028/18/2014 –एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. 895(अ), तारीख 20.09.2016 को संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2016

G.S.R. 905(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 620 (E), dated the 23rd June, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 23rd June, 2016;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (14th Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in rule 125C, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4) On and after expiry of six months from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (14th Amendment) Rules, 2016, the testing and approval for body building of sleeper coaches shall be in accordance with AIS-119 (Rev.1):2016, as amended from time to time, for vehicles mentioned therein, till the corresponding Bureau of Indian Standards specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986)".

[No. RT-11028/18/2014-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide G.S.R 895(E) dated 20.09.2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA
KUMAR

Digitally signed by
HARINDRA KUMAR
Date: 2016.09.27
09:15:21 +05'30'



No. RT-11036/02/2013-MVL

भारत सरकार

Government of India

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

Ministry of Road Transport and Highways

(MVL Section)

Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi-110001

521

gmp.
30/11/18

To,

Dated 8th November, 2018

The Principal Secretaries/The Secretaries, Deptt. of Transport/
The Transport commissioners
Of all the states/UT Administrations.

Subject: - Clarification regarding notification No. G.S.R 368(E) dated 13.04.2018.

Sir/Madam,

It has been brought to the notice of this Ministry that fabricated buses accompanied with "FORM 22-B" are not being accepted by some States for registration. These States are asking for submission of both Form 22A and Form 22B.

2. In this regard, it is clarified that in case the bus body builder submits "self-certification" in Form 22B, as per G.S.R 368(E) dated 13th April, 2018, there is no requirement for submission of Form 22A.

Yours faithfully,

(Dharkat R. Luikang)

Under Secretary to the Government of India

011-23357125

E-mail: dharkat@nic.in



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 13, 2018/चैत्र 23, 1940

No. 240]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 13, 2018/CHAITRA 23, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 368(अ).—केन्द्रीय मोटरयान, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1377(अ), तारीख 10 नवम्बर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिससे उनको प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 10 नवम्बर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, उक्त प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक्तः विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 47 में,—

(i) उप-नियम (1) के खंड (छ) में, "ढांचा निर्माताओं से प्ररूप 22क" शब्दों, अंकों और अक्षरों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

2177 GI/2018

(1)

"और, किसी बस बाँडी संरचना फैब्रीकेटर द्वारा ड्राईव अवे चेसिस पर निर्मित बस की बाँडी के स्वप्रमाणन के मामले में, प्ररूप 22ख में अनुपालन का प्रमाणपत्र";

(ii) उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(5) इस उप-नियम के प्रारम्भ से ही प्रत्येक बस की बाँडी का निर्माता पोर्टल <https://www.vahan.nic.in/makemodel> पर सुसंगत ड्राईव अवे चेसिस के सामने बस की बाँडी के ब्यौरे अपलोड करेगा।"

3. मूल नियम के नियम 126 में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि बस की बाँडी निर्माता राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस: 052 (पुनरीक्षण 1) के अनुसार बस की बाँडी के डिजाइन और अनुमोदन के लिए कोड और पद्धति की अपेक्षाओं के अनुपालन को प्रमाणित करते हुए ड्राईव अवे चेसिस पर निर्मित बस की बाँडी को स्व-प्रमाणित कर सकेगा ;

परंतु यह और कि बस की बाँडी का निर्माता रूप विधान XXXX XXXX XXXXXX में स्वप्रमाण पत्र के लिए विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध कराएगा जिसमें किसी विशिष्ट वर्ष में पहले चार अक्षर बाँडी निर्माता पहचान कोड को, जिसके पश्चात् फैब्रीकेशन के वर्ष को उपदर्शित करने वाले चार अंक और इसके पश्चात् क्रम संख्यांक को दर्शित करने वाले छह अंकों को निरूपित करते हैं।

4. मूल नियम के प्ररूप 22 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप 22ख

[नियम 47(1)(ख) देखें]

भाग-क

समय-समय पर यथासंशोधित बस की बाँडी डिजाइन और अनुमोदन एआईएस:052 के लिए कोड और पद्धति के उपबंधों के लिए बस की बाँडी निर्माता द्वारा ड्राईव अवे चेसिस पर निर्मित बस की बाँडी के अनुपालन का आरम्भिक स्व-प्रमाणपत्र

1.	बस ढांचा निर्माता का नाम, पता और टेलीफोन नंबर	
2.	प्रत्यायन प्रमाणपत्र विवरण	
3.	चेसिस का विवरण, जिस पर बस का निर्माण होता है	
3.1	चेसिस निर्माता का ब्यौरा	
3.2	चेसिस नंबर	
3.3	चेसिस का प्रकार: सीढी/अर्द्ध-अविभाज्य/अविभाज्य	
3.4	इंजन मेक और मॉडल	
3.5	वाहन पर इंजन की स्थिति	
3.6	ईंधन का प्रकार	
3.7	इंजन नंबर	
3.8	व्हील बेस	
3.9	संचरण का प्रकार	
4.	चेसिस पर निर्मित बस ढांचे का विवरण	
4.1	टाइप 1/2/3/मिनि/मिडि	
	कंफर्ट श्रेणी [एनडीएक्स/एसडीएक्स/डीएलएक्स/एसीएक्स]	

4.2	(i) डिजाइन्ड सीटिंग (ii) महिलाओं/वरिष्ठ नागरिकों/दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सीट आरक्षण (iii) यथा अनुप्रयोज्य स्टैंडिंग क्षमता लेआउट ड्राइंग को संलग्न करें	
4.3	कि.ग्राम में भार	
4.3.1	कर्व भार	
4.3.2	चेसिस भार	
4.3.3	सकल यान भार (जी वी डब्ल्यू)	
5.	समग्र आयाम (i) लंबाई (ii) चौड़ाई (iii) ऊंचाई (iv) फ्रंट ओवरहैंग (v) रियर ओवरहैंग विमाओं को इंगित करने वाला आरेखण संलग्न करें	
6.	आंतरिक विमाएं, तकनीकी और सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएं	
6.1	सर्विस दरवाजे : (i) सर्विस दरवाजों की संख्या (ii) सर्विस दरवाजे का प्रकार (मैनूअल/पावर संचालित/स्वचालित) (iii) स्थान/स्थिति (लागू आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली विमाएं)	
6.2	खिड़कियां : (i) खिड़कियों के प्रकार (ii) खिड़कियों की संख्या (iii) खिड़कियों की स्थिति/स्थान (iv) खिड़कियों की विमाएं लगाई गई खिड़कियों का विवरण संलग्न करें	
6.3	गार्ड रेलिंग - गार्ड रेलों के ब्यौरे संलग्न करें	
6.4	आपातकालीन निकास : (i) निकासों की संख्या (ii) निकासों का स्थान (iii) आपातकालीन निकास का प्रकार (अर्थात् आपातकालीन दरवाजे/आपातकालीन खिड़कियां/आपातकालीन जालियां इत्यादि)	
6.5	आपातकालीन दरवाजा : (i) विमाएं (ii) स्थिति (iii) अंदर या बाहर या दोनों ओर से खोलना (iv) पहुंच (v) सुरक्षा इंटर-लॉक (vi) खुली स्थिति में चेतावनी अलार्म	
6.6	आपातकालीन खिड़की : (i) आपातकालीन खिड़की का प्रकार	

	(ii) विमाणं (iii) स्थिति (iv) आपातकालीन खिड़की खोलने की विधि (v) आपातकालीन खिड़कियों की संख्या (vi) खिड़कियों के शीशे तोड़ने की व्यवस्था	
6.7	निकास जालियां : (i) आपातकालीन जालियों के प्रकार (ii) विमाणं, स्थिति (iii) आपातकालीन जालियों की संख्या (iv) खोलने की विधि (v) शीशों को तोड़ने की व्यवस्था	
6.8	आपातकालीन निकास को चिन्हित करने की पद्धति और प्रक्रिया के ब्यौरे	
6.9	सुरक्षा संकेतों के ब्यौरे :	
6.10	सीढियां : दरवाजा, सीढियों की संख्या सीढियों की ऊंचाई सीढियों की विमाणं क्या प्रत्याकर्षणीय सिमटने योग्य सीढियां लगाई गई हैं।	
6.11	सर्विस दरवाजे से वाहन में प्रवेश के स्थान के ब्यौरे	
6.12	फर्श क्षेत्र और ऊंचाई का पैमाना : (i) फर्श का क्षेत्रफल (ii) फर्श की लंबाई	
6.13	मार्ग और पहुंच मार्ग की ऊंचाई, चौड़ाई और दलान के ब्यौरे	
6.14	मार्ग, मार्ग क्षेत्र, सेवा द्वार क्षेत्र और आपातकालीन द्वार क्षेत्र में हैंड रेल और हैंड होर्ड का निवारण	
6.15	सीटों और सीट लेआउट का ब्यौरा सीटों का अभिविन्यास संलग्न करें	
6.16	यात्री सीटों का विमाणं : (i) सीट की चौड़ाई (ii) बैक रेस्ट की ऊंचाई (iii) आर्म रेस्ट की चौड़ाई (iv) सीट कुशन की गहराई (v) बैठने का स्थान (vi) सीट बेस की ऊंचाई (vii) टोरसो कोण (viii) सीट आधार की मोटाई (ix) सीटबैक की मोटाई (x) क्लीरेंस लेग स्पेस (xi) बैठने की स्थिति के ऊपर मुक्त ऊंचाई (xii) बैठने की स्थिति के ऊपर इन्ट्रूशन	

<p>क्या निम्नलिखित बस बाँडी कोड एआईएस:52आरईवी.1 (समय समय पर संशोधित) में अनुबंध के रूप में उपबंधित किया गया है।</p> <p>महत्वपूर्ण टिप्पण :- यदि अनुपालन को "नहीं" के रूप में रिपोर्ट किया जाता है तब यान का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाएगा।</p>		
6.17	<p>ड्राइवर का कार्यक्षेत्र :</p> <p>टिप्पण: ड्राइवर का दरवाजा, चढ़ने की सुविधा, हैंड होल्डस, कार्यक्षेत्र की विमाएं, स्टेरिंग पहिए की स्थिति, इन्स्ट्रूमेंट पैनल का स्थापन, तारों पर चढ़ाने के लिए पर्दा, नियंत्रणों की स्थिति, ड्राइवर के लिए गर्मी/ठंडक/सम्वातन बस बाँडी कोड में यथाविनिर्दिष्ट उपबंधित किया जाएगा।</p>	(हां/नहीं)
6.18	<p>खड़े होने वाले यात्री क्षेत्र :</p> <p>टिप्पण : खड़े होने वाले यात्री क्षेत्र बस बाँडी कोड में यथाविनिर्दिष्ट अवधारित और उपबंधित किया जाएगा</p>	(हां/नहीं)
6.19	<p>बैठने और खड़े होने वाले यात्रियों की क्षमता की परिकल्पना :</p> <p>टिप्पण : बैठने और खड़े होने के क्षेत्र के विन्यास के साथ बस बाँडी कोड में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया पर आधारित बैठने और खड़े होने वाले यात्रियों की क्षमता की गणनाओं को उपदर्शित करने वाली शीट संलग्न करें।</p>	(हां/नहीं)
6.20	<p>लोक सूचना प्रणाली (श्रव्य/दृश्य/श्रव्यदृश्य):</p>	(हां/नहीं)
6.21	<p>बाँडी इन्सुलेशन के लिए प्रयुक्त सामग्री</p>	(हां/नहीं)
6.22	<p>पीछे देखने वाले दर्पणों के लिए टाइप अनुमोदन</p>	(हां/नहीं)
6.23	<p>विंड स्क्रीन वाइपिंग प्रणाली और ड्राइवर का दृष्टि क्षेत्र :</p> <p>वाइपिंग प्रणाली अवयवों के टाइप अनुमोदन ब्यारे</p> <p>टिप्पण :</p> <ol style="list-style-type: none"> विंड स्क्रीन वाइपिंग प्रणाली और ड्राइवर का दृष्टि क्षेत्र बस बाडी कोड में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसरण में प्रदान किए जाएंगे। प्रतिस्थापन पालन के अनुपालन को प्रस्तुत किया जाएगा। 	(हां/नहीं)
6.24	<p>पैड सामग्री :</p> <p>टिप्पण : बस बाडी कोड में विनिर्दिष्ट पैड सामग्री या उससे उच्चतर जो विनिर्दिष्ट की जाए प्रदान की जाएगी।</p>	(हां/नहीं)
6.25	<p>अग्नि जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा :</p>	(हां/नहीं)
6.26	<p>प्राथमिक उपचार उपस्कर :</p>	(हां/नहीं)
6.27	<p>आंतरिक ध्वनि स्तर का मापा गया मान :</p>	(हां/नहीं)
6.28	<p>बाडी संरचना की शक्ति :</p> <p>अनुपालन रिपोर्ट के ब्यारे संलग्न करें।</p>	(हां/नहीं)
6.29	<p>बस संरचना का स्थायित्व</p> <p>अनुपालन रिपोर्ट के ब्यारे संलग्न करें।</p>	(हां/नहीं)
6.30	<p>दरवाजें :</p> <p>कब्जें और दरवाजें के हैंडलों की अनुपालन रिपोर्ट के ब्यारे संलग्न करें।</p> <p>टिप्पण : दरवाजें की संरचनाएं, दरवाजें के कब्जें, दरवाजें के हैंडिल और रबड़ सीटिंग एथलाइन प्रोपोलाइन दाईन मोनोमर (ईपीडीएम) बस बाडी कोड में यथाविनिर्दिष्ट उपबंधित किए जाएंगे।</p>	(हां/नहीं)

6.31	दरवाजों के अवयवों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट के ब्यौरे संलग्न करें :	(हां/नहीं)
लाइटिंग, सिगनलिंग और इंजीकेटिंग प्रणाली		
6.32	(क) बाहरी लाइटिंग और सिगनलिंग युक्ति के टाइप अनुमोदन ब्यौरे (ख) बाहरी लाइटिंग और सिगनलिंग युक्ति के प्रतिस्थापन ब्यौरे (ग) आंतरिक लाइटिंग के ब्यौरे प्रदीपन युक्ति, बल्बों के प्रकार, फोटोमैट्रिक अपेक्षा, डैश बोर्ड, टैल-टेल लाइटिंग और कंट्रोल लाइटिंग, ड्राइवर कक्ष लाइटिंग, यात्री कक्ष लाइटिंग और अन्य क्षेत्र लाइटिंग की स्थिति उपदर्शित करें।	(हां/नहीं)
विद्युत उपस्कर और वायरिंग		
6.33	विद्युत तारों, फ्यूजों, टर्मिनलों सहयोजकों और अवयवों के संबंध में अनुपालन स्थापित करने वाले दस्तावेज संलग्न करें : टिप्पण : विद्युत तारों, फ्यूजों, टर्मिनलों, सहयोजकों और अवयवों को वम वाडी कोड में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार प्रदान किया जाएगा	(हां/नहीं)
6.34	विद्युत परिपथ सुरक्षा के ब्यौरे : वम वाडी कोड में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन को स्थापित करने वाले दस्तावेज संलग्न करें।	(हां/नहीं)

स्व-घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि

- (क) उपरोक्त यान की वाडी/संरचना हमारे द्वारा बनाई गई है और समय-समय पर यथासंशोधित एआईएम :052 (आरईवी1) की अपेक्षाओं और मोटरयान अधिनियम, 1988 के सभी उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया है।
- (ख) चेसिस, उसके समुच्चय या अवयवों में कोई हेरफेर नहीं किया गया है।"

बाडी बनाने वाले के हस्ताक्षर

बाडी बनाने वाले की मुद्रा।"

[सं. आरटी-11028/02/2013-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) सा.का.नि. संख्यांक 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. संख्यांक 243(अ) तारीख 20 अप्रैल, 2018 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2018

G.S.R. 368(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification number G.S.R 1377 (E), dated the 10th day of November, 2017 of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Official Gazette notification were made available to the public on the 10th day of November, 2017.

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: -

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2018
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 47, -
(i) in sub-rule (1), in clause (g), after the words, figures and letter "Form 22A from the body-builders", the following words, figures and letters shall be inserted, namely: -
"and, in case of self-certification of the bus body built on a drive away chassis by a bus body structure fabricator, certificate of compliance in Form 22B";
(ii) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:
"(5) On and from the commencement of this sub-rule, every bus body builder shall upload the bus body details against the relevant drive away chassis on the portal <https://www.vahan.nic.in/makermode>.".
3. In the principal rules, in rule 126, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-
"Provided also that a bus body builder may self-certify the bus body built on a drive away chassis certifying compliance to the requirements of the Code and Practice for Bus Body Design and Approval in accordance with AIS:052, (Rev.1) as amended from time to time], as per the procedure notified by the Central Government in the official Gazette;
Provided further that the bus body builder shall provide a unique identification number to the self-certificate in the format **XXXX XXXXXXXXXX** wherein the first four characters represent body builder identification code followed by four digits indicating the year of fabrication followed by six digits signifying the serial number in the particular year."
4. In the principal rules, after Form 22A, the following Form shall be inserted, namely: -

"FORM 22B

[See rule 47(1)(g)]

PART-A

Initial self-certificate of compliance of the bus body built on drive away chassis by the bus body builder to the provisions of the Code and Practice for Bus Body Design and Approval AIS:052, as amended from time to time

1.	Name, address and telephone number of the bus body builder	
2.	Accreditation certificate details like number, date and validity	
3.	Details of chassis on which bus is built	
3.1	Particulars of chassis manufacturer	
3.2	Chassis number	

3.3	Type of chassis : Ladder /semi-integral/integral	
3.4	Engine make and model	
3.5	Position of engine on vehicle	
3.6	Type of fuel	
3.7	Engine number	
3.8	Wheel base	
3.9	Type of transmission	
4.	Details of bus body built on the chassis	
4.1	Type I/II/III/Mini/Midi	
	Comfort category [NDX/SDX/DLX/ACX]	
4.2	(i) Designed seating (ii) Seat reservation for women/senior citizen/person with disability (iii) Standing capacity as applicable (iv) Enclose layout drawing	
4.3	Weight in Kg	
4.3.1	Chassis Weight	
4.3.2	Kerb Bus Weight	
4.3.3	Gross Vehicle Wight (GVW)	
5.	Overall dimensions (i) Length (ii) Width (iii) Height (iv) Front overhang (v) Rear overhang Enclose drawing indicating dimensions	
6.	Internal dimensions, technical and safety requirements	
6.1.	Service door: (i) Number of service doors (ii) Type of service door (manual/ power operated/ automatic) (iii) Location/position (dimensions to be furnished as per applicable requirements)	
6.2.	Window: (i) Type of windows (ii) Number of windows (iii) Position/locations of windows (iv) Dimensions of widows Enclose details of the windows provided.	
6.3.	Guard rail - Enclose details of guard rails	